

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर म. प्र.

—: नीलामी विज्ञप्ति :-

क्रमांक/6678/तीन-3-5/2010

सागर दिनांक 28.10.2025

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला स्थापना सागर के न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सागर के अधिपत्य का शासकीय वाहन क्रमांक एम. पी. 02 ए. व्ही. 2997 महेन्द्रा जायलो को (जहां है, जैसी स्थित में है) नीलामी दिनांक 13.11.2025 को प्रातः 11:00 बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है:-

नीलाम किये जाने वाले वाहन का विवरण निम्नानुसार है:-

वाहन क्रमांक	स्थान जहां पर वाहन रखा गया है।	वाहन की अफसेट प्राईज	मॉडल वर्ष	रिमार्क
एम0पी0-02-ए0व्ही0- 2997 महिन्द्रा जायलो	नजारत अनुभाग कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर	1,10,000/-	2010	

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के नाम से देय राशि रुपये 5,000/- का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर, नीलामी में भाग लिया जा सकता है नीलामी संबंधी शेष नियम शर्तों की जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय सागर से प्राप्त की जा सकती है एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक वेबसाइट (www.mphighcourt.in) पर भी देखी जा सकती है

उपरोक्त शासकीय वाहन महिन्द्रा जायलो की नीलामी संबंधी कार्यवाही की शर्तें निम्नानुसार है

—: निविदा शर्तें :-

1. शासकीय वाहन क्रमांक एम. पी. 02 ए. व्ही. 2997 महिन्द्रा जायलो का न्यूनतम अपलेखन मूल्य राशि रुपये 1,10,000/- (रुपये एक लाख दस हजार मात्र) शासकीय बोली नियत है।
2. उपरोक्त अनुपयोगी शासकीय वाहन की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप में रुपये 5,000/- का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के नाम से देय हो, नगद राशि जिला नाजिर, नजारत अनुभाग सागर के पास जमा कर रसीद प्राप्त कर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
3. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गई बोली/स्वीकृत की गयी पूरी राशि जमा करने के पश्चात अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।
4. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का तथा नीलामी के आंशिक रूप से व पूर्ण से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार सर्वथा वाहन नीलामी समिति कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर को प्राप्त होगा।
5. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
6. अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति, नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात अनुपयोगी शासकीय वाहन के ता को प्रदान किया जावेगा।
7. अनुपयोगी शासकीय वाहन को अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के नाम से जमाकर, वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
8. संबंधित वाहन भौतिक निरीक्षण हेतु नजारत अनुभाग जिला न्यायालय सागर में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर सागर से संपर्क करें।

9. बोलीकर्ता द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को कय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयीं ऐसा माना जावेगा ।
10. अनुपयोगी शासकीय वाहन को कय करने के पश्चात् क्रेता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में जिला न्यायालय सागर से अपने अधिपत्य में लेकर जाना होगा ।
11. अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम से नवीन रजिस्ट्रेशन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जबाबदारी क्रेता की होगी ।
12. वाहन क्रमांक, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, निविदाकार नीलामी स्थान पर ही मिलान कर लेवे । इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति कय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी ।
13. वाहन नीलामी की बोली स्वीकार होने के उपरांत वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी ।
14. वाहन की नीलामी दिनांक **13.11.2025** से अधिकतम बोली आने तक की जावेगी ।
15. शासकीय वाहन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के कार्यालय पर प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक देखा जा सकेगा ।
16. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित वाहन नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा ।

Sd/
वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर म. प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक
प्रतिलिपि :-

6679

/तीन-3-5/2010

सागर दिनांक 28.10.2025

01. आयुक्त जनसंपर्क कार्यालय सागर की ओर निःशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित ।
02. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग सागर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त सूचना समस्त सार्वजनिक स्थान, कार्यालय कमिश्नर/कलेक्टर के नोटिस बोर्ड एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अन्य विभागाध्यक्ष के सूचना पटल पर चर्षा कराया जाना सुनिश्चित करें ।
03. जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग सागर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासकीय वाहन की नीलामी की विज्ञप्ति ऑनलाइन प्रकाशित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें ।
04. अध्यक्ष, निर्जीव वस्तु अपलेखन समिति सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

cy/
वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
2 सागर म. प्र.